Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **श्रीगंगानगर में सरपंच एवं उसका दलाल 15,120 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आरोपियों के आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *01 अगस्त।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की श्रीगंगानगर इकाई द्वारा आज सोमवार को कार्यवाही करते हुये सतपाल सरपंच ग्राम पंचायत 1 एलएम, पं.स. सूरतगढ़, श्रीगंगानगर को उसके दलाल रामप्रताप (प्राइवेट व्यक्ति) को परिवादी से 15,120 रुपये रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की श्रीगंगानगर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि नरेगा श्रमिकों को मिलने वाली मजदूरी की राशि में से बतौर कमीशन आधी राशि सतपाल सरपंच ग्राम पंचायत 1 एलएम, पं.स. सूरतगढ़, श्रीगंगानगर एवं उसके भाई रामप्रताप (प्राइवेट व्यक्ति) द्वारा रिश्वत के रूप में मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी की श्रीगंगानगर इकाई के **उप अधीक्षक पुलिस श्री वेद प्रकाश लखोटिया एवं** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **उप अधीक्षक पुलिस श्री भूपेन्द्र सोनी** एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये रामप्रताप पुत्र श्री बनवारी लाल निवासी ग्राम भोपालपुरा, तहसील सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर (प्राइवेट व्यक्ति) को अपने भाई सतपाल पुत्र श्री बनवारी लाल निवासी ग्राम भोपालपुरा, तहसील सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर हाल सरपंच ग्राम पंचायत 1 एलएम, पं.स. सूरतगढ़, श्रीगंगानगर के लिये परिवादी से 15,120/—रुपये रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया। प्रकरण में दोनों को गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपियों के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।